

297



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

PBR/मिगरनी/मंदसौर/भू.सं. 2017/4446

प्र.क.

/2017 पुनरीक्षण

श्री मुकेश शर्मा द्वारा आज दि 14-11-17 को प्रस्तुत

सर्वे ऑफिस 14-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
च. दि. 16-11-17

मुकेश शर्मा
14-11-17 एडवाकेट
ग्वालियर

1. राजकुमार पिता गोपाल जी कुल्मी
2. राजबब्बर पिता गोपाल जी कुल्मी
निवासीगण ग्राम नारायणगढ तहसील
मल्हारगढ जिला मंदसौर म.प्र.
3. प्रेमबाई पिता नंदलाल पत्नी प्रकाश पाटीदार
निवासी ग्राम नावनखेडी तहसील मल्हारगढ
जिला मंदसौर म.प्र.

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. पुष्पा बाई पत्नी स्व. गोपाल पाटीदार
निवासीग्राम नारायणगढ हाल मुकाम ग्राम
पहेडा मगरा तहसील मल्हारगढ जिला
मंदसौर म.प्र.
2. भागवन्ती बाई पत्नी मनोहरलाल जी
निवासी ग्राम नारायणगढ तहसील मल्हारगढ
जिला मंदसौर म.प्र.

..... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार मल्हारगढ जिला मंदसौर म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक 39/अ-27/2012-13 में पारित आदेशदिनांक 26.09.17 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

संक्षिप्त तथ्य :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के , उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/4446

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	